"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2014—आश्विन 11, शक 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अंशु अभिजीत प्रकाश पति श्री अभिजीत प्रकाश, उम्र 26 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 49, पैराडाइज काम्पलेक्स, बोरसी भाठा, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. विवाह पूर्व मेरा नाम कु. अंशु शिनी भगत पिता श्री शिशिर कुमार भगत था जो मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 20-10-2010 को अभिजीत प्रकाश के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती अंशु अभिजीत प्रकाश रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती अंशु अभिजीत प्रकाश पति श्री अभिजीत प्रकाश के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कु. अंशु शिनी भगत पिता-श्री शिशिर कुमार भगत निवासी-विश्वास घर चर्च, बाजीराव महारपारा जेल रोड, रायगढ़ जि. रायगढ़ (छ.ग.)	श्रीमती अंशु अभिजीत प्रकाश पति-श्री अभिजीत प्रकाश निवासी-क्वा. नं. 49, पैराडाइज काम्पलेक्स बोरसी भाठा, दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, डॉ. हेमलता तिवारी पाठक पत्नि श्री राकेश पाठक, उम्र 48 वर्ष, निवासी-5, सरस्वती बिहार, साइंस कालेज केम्पस, जी. ई. रोड रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) की हूं. यह कि मैं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड रायपुर में कार्यालय सहायक श्रेणी-2 के पद पर कार्यरत हूं. विवाह पूर्व मैं हेमलता तिवारी पिता श्री बाला प्रसाद तिवारी के नाम से जानी, पहचानी, पुकारी व लिखी पढ़ी जाती थी तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मेरी शादी दिनांक 23-12-1996 को श्री राकेश पाठक के साथ सम्पन्न हुआ. दिनांक 13-8-2014 को मुझे पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा Ph D की उपाधि प्रदान की गई. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर डॉ. हेमलता तिवारी पाठक रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे डॉ. हेमलता तिवारी पाठक पत्नि श्री राकेश पाठक के नाम से जानी, पहचानी, पुकारी व लिखी पढ़ी जावे.

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमति हेमलता तिवारी पाठक पति-श्री राकेश पाठक निवासी-5, सरस्वती विहार साइंस कालेज केम्पस जी. ई. रोड रायपुर (छ.ग.)	डॉ. हेमलता तिवारी पाठक पति-श्री राकेश पाठक निवासी-5, सरस्वती विहार साइंस कालेज केम्पस जी. ई. रोड रायपुर (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, हम पिता श्री देवेन्द्र कुमार साहू, उम्र 41 वर्ष एवं माता श्रीमति नीतू साहू, उम्र 33 वर्ष, निवासी-पुराना सरकंडा, दैहान पारा, सीपत रोड सरकंडा बिलासपुर तहसील व जिला बिलासपुर (छ.ग.) का हूं. यह कि हमारे पुत्र का जन्म 16-9-2011 को हुआ. जन्म के समय अपने पुत्र का नाम अथर्व कुमार साहू रखा गया था तथा जन्म प्रमाण पत्र अथर्व कुमार साहू के नाम से प्रदाय किया गया. मैं अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर अवनीश कुमार साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को अवनीश कुमार साहू पिता श्री देवेन्द्र कुमार साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
अथर्व कुमार साहू (Athrava Kumar Sahu) पिता-श्री देवेन्द्र कुमार साहू माता-श्रीमती नीतू साहू निवासी-पुराना सरकंडा, दैहान पारा, सीपत रोड सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.)	अवनीश कुमार साहू (Avaneesh Kumar Sahu) पिता-श्री देवेन्द्र कुमार साहू माता-श्रीमती नीतू साहू निवासी-पुराना सरकंडा, दैहान पारा, सीपत रोड सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती तुलसी बाई (TULASI BAI) पत्नि श्री रतन सिंह मंडावी, उम्र 53 वर्ष, निवासी-मकान नं. 290/2, नेवई बस्ती, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. विवाह पूर्व मेरा नाम कु. चंद्रिका बाई पिता इतवारी राम था तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 25 फरवरी 1978 को श्री रतन सिंह मंडावी आ. श्री महर सिंह के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती तुलसी बाई रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती तुलसी बाई (TULASI BAI) पत्नि श्री रतन सिंह मंडावी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कु. चंद्रिका बाई पिता-श्री इतवारी राम निवासी-ग्राम बलौदी, तह. पाटन जिला-दुर्ग (छ.ग.)	श्रीमती तुलसी बाई पति-श्री रतन सिंह मंडावी निवासी-मकान नं. 290/2, नेवई बस्ती भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती मंजू सिंह पति श्री युवराज सिंह, उम्र 45 वर्ष, निवासी एम.आई.जी.-II/429, हुडको भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि मेरे ससुर श्री आर. बी. एस. चौहान द्वारा इण्डसइण्ड बैंक का शेयर क्रय किया गया है जिसका फोलियो नं. 00145238, सर्टिफिकेट नं. 312350-51, डिस्ट नं. 131234901-131235100, शेयर 200 है. उक्त शेयर में नामिनी के रूप में मेरा नाम त्रुटिवश श्रीमती मंजू चौहान दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती मंजू सिंह रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती मंजू सिंह पति श्री युवराज सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्रीमती मंजू चौहान पति-श्री युवराज सिंह निवासी-MIG-2/429, हुडको कालोनी भिलाई नगर, जिला दुर्ग (छ.ग.)	श्रीमती मंजू सिंह पति-श्री युवराज सिंह निवासी-MIG-2/429, हुडको कालोनी भिलाई नगर, जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमति ममता शादीजा पत्नि श्री गुरूमुख शादीजा, उम्र 33 वर्ष, निवासी-503, शादीजा कम्पाउण्ड, मेन रोड, अवंति विहार, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) की हूं. यह कि शादी के पूर्व मुझे कु. दुर्गा डोडवानी पुत्री श्री आनन्द राम डोडवानी के नाम से जानी, पहचानी एवं लिखी जाती थी. मेरी शादी दिनांक 11-2-2007 को श्री गुरूमुख शादीजा के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमति ममता शादीजा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमति ममता शादीजा पत्नि श्री गुरूमुख शादीजा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कु. दुर्गा डोडवानी पिता-श्री आनन्दराम डोडवानी निवासी-सी-4, गुरूघासीदास सोसायटी न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर, तह. व जिला रायपुर (छ.ग.)	श्रीमति ममता शादीजा पति-श्री गुरूमुख शादीजा निवासी-503, शादीजा कम्पाउण्ड, अनमोल फ्लैट के पास, मेन रोड, अवंति विहार, रायपुर तह. व जिला रायुपर (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पीयूष दुबे पिता श्री राजेन्द्र कुमार दुबे, उम्र 21 वर्ष, निवासी-समता नगर नियर निरंकारी जनरल स्टोर्स, मकान नं. 287, वार्ड नं. 13, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे वाहन चालक लाइसेन्स में मेरा नाम पीयूष दुबे पिता श्री राजेन्द्र कुमार दुबे दर्ज है तथा मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम पीयूष शर्मा पिता श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा दर्ज है. मैं अपने उपनाम शर्मा को परिवर्तित कर नया नाम पीयूष दुबे रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे पीयूष दुबे पिता श्री राजेन्द्र कुमार दुबे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
पीयूष शर्मा (Piyush Sharma) पिता-श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा निवासी-समता नगर नियर निरंकारी जनरल स्टोर्स, म. नं. 287, वार्ड नं. 13, दुर्ग तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	पीयूष दुबे (Piyush Dubey) पिता-श्री राजेन्द्र कुमार दुबे निवासी-समता नगर नियर निरंकारी जनरल स्टोर्स, म. नं. 287, वार्ड नं. 13, दुर्ग तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक लोक न्यास डौण्डीलोहारा जिला बालोद

डौण्डीलोहारा, दिनांक 30 जुलाई 2014

प्रारूप क्र. 4
[देखें नियम 5 (1)]

[छ.ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छ.ग. लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

पंजीयक लोक न्यास डौण्डीलोहारा जिला बालोद के समक्ष

क्रमांक/1479/प्र.1/अ.वि.अ./2014.—यह कि आवेदक श्री जनक लाल ठाकुर आ. स्व. श्री सुखराम ठाकुर उम्र 58 वर्ष केकती पारा वार्ड क्रमांक-09 दल्लीराजहरा तहसील डौण्डी जिला बालोद (शहीद अस्पताल ट्रस्ट दल्लीराजहरा) ने छ.ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 30-08-2014 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	ट्रस्ट का नाम	:	शहीद अस्पताल ट्रस्ट दल्लीराजहरा
(2)	चल संपत्ति	:	6859880.44 रुपये
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

एम. एस. ओट्टी,
अनुविभागीय अधिकारी एवं
पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.